संख्या-35 /2024/1890/77-6-24-5(एम)/13टीसी(मेगा)

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबंध निदेशक, पिकप।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2024

विषयः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0 एवं मेसर्स पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्रा0लि0 को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2052/77-6-16-5(एम)/13टीसी, दिनांक 2.11.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेगा परियोजना की स्थापना हेतु केस-टू-केस आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन विषयक शासनादेशों में संशोधन किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 02.11.2016 के प्रस्तर-3 में राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर सर्वश्री मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0, हरिद्वार की प्रस्तावित मेगा/सुपर मेगा परियोजना को विशेष सुविधायें व रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमन्य सुविधाओं का विवरण उक्त शासनादेश के अनुलग्नक-2 में विस्तृत रूप से वर्णित है। अनुलग्नक- 2 के प्रस्तर-1 के अनुसार इकाई द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि, खाद्य, हर्बल, आयुर्वेद, पशु आहार, डेरी उत्पाद एवं एफएमसीजी के प्रसंस्करण, विनिर्माण एवं उत्पादन हेतु इकाईयों की स्थापना की जाएगी। उक्त अनुलग्नक-2 के प्रस्तर-3 में इकाई को दी जाने वाली 455 एकड़ भूमि यीडा क्षेत्र में आरक्षित करते हुए भूमि के उपयोग की शर्तों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इकाई हेतु आरक्षित भूमि/उपलब्ध भूमि का 20 प्रतिशत सबलीज किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त अनुलग्नक के प्रस्तर-3.3 में निम्नवत प्राविधान है:-

सबलीज की अनुमति आवंटन की तिथि से 7 वर्ष के लिए मान्य होगी।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा के पत्रांक-YEIDA/उद्योग/2024/13135, दिनांक 21.02.2024 द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि यीडा बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 29.01.2024 को सम्पन्न हुई। बैठक में मद संख्या-50 पर पारित प्रस्ताव के क्रम में कोविड 19 के दृष्टिगत उक्त अनुलग्नक-2 के प्रस्तर-3.3 में अनुमन्य अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 9 वर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- उपर्युक्तानुसार यीडा द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासन के पत्र संख्या-553/77-6-24-5(एम)/13टीसी(मेगा), दिनांक 02.04.2024 द्वारा नोडल संस्था पिकप से सुस्पष्ट प्रस्ताव मांगा गया। पिकप के पत्र दिनांक 02.05.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 02.11.2016 के क्रम में मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0 को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत सुपर मेगा श्रेणी हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 29.12.2016 निर्गत किया गया। शासनादेश दिनांक 02.11..2016 के प्रस्तर-1.2 में कटऑफ डेट को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि कटऑफ डेट का तात्पर्य दिनांक 23.01.2013 से एल.ओ.सी. जारी किये जाने की तिथि तक की अवधि में इकाई द्वारा निवेश प्रारम्भ किये जाने की जिस तिथि का विकल्प चुना जाएगा उस तिथि से रू. 1000.00 करोड़ एवं उससे अधिक निवेश वाली औद्योगिक इकाई हेतु 7 वर्ष की अवधि, निर्धारित निवेश कर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु अर्ह होगी। एल.ओ.सी. के आवेदन के समय कम्पनी द्वारा परियोजना में निवेश प्रारम्भ करने की तिथि से अवगत नहीं कराया गया था। तात्पर्य यह है कि कटऑफ तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है, जिससे कि 7 वर्ष पूर्ण होने की तिथि ज्ञात की जा सके। यद्यपि कम्पनी द्वारा नोडल संस्था को अवगत कराया गया कि यीडा को प्रथम भुगतान दिनांक 15.11.2016 को किया गया था। भूमि हेतु आवंटन पत्र दिनांक 06.02.2017 को जारी किया गया था, लीज डीड दिनांक 08.07.2022 को सम्पादित की गई। भूमि पर कब्जा क्रमश: दिनांक 10.11.2022 एवं 11.04.2023 को उपलब्ध कराया गया है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत पिकप द्वारा मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0 द्वारा निर्धारित 07 वर्ष की अवधि में परियोजना पूर्ण न किये जाने के दृष्टिगत अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में प्राविधानित शर्तो के अधीन यीडा के प्रस्ताव पर विचार किये जाने की संस्तुति की गई है।

5- उपर्युक्तानुसार यीडा एवं पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई जिसका कार्यवृत्त शासन के पत्र संख्या-1460/77-6099/185/2022 पार्ट-1 दिनांक 25.6.2024 को निर्गत किया गया है।

6- उपरोक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-2052/77-6-16-5(एम)/13टीसी, दिनांक 2.11.2016 के अनुलग्नक-2 में मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0, हरिद्वार को राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर मेगा/सुपर मेगा परियोजनाओं को

अनुमोदित विशेष सुविधायें एवं रियायतें के संबंध में शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है-

1. चूंकि कम्पनी द्वारा बुन्देलखण्ड का निवेश ड्राप कर दिया गया है। अतः तदनुसार एल0ओ0सी0 दिनांक 29.12.2016 संशोधित की जाए। इसके आधार पर इनका परिणामी प्रभाव सस्था को नीति के अनुसार देय वित्तीय प्रोत्साहन में भी कर लिया जाए।
2. शासनादेश दिनांक 02.11.2016 के अनुलग्नक-2 द्वारा अनुमन्य सुविधाओं को जारी रखते हुए परियोजना पूर्ण किये जाने की अवधि संशोधित एलओसी जारी होने की तिथि से 02 वर्ष होगी। इसी प्रकार सबलीज भी संशोधित एल0ओ0सी0 जारी होने की तिथि से 02 वर्ष में ही की जा सकेगी।
3. भूमि सबलीज किये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद के प्रतिनिधि एवं शासन के प्रतिनिधि शामिल होगे, का गठन किया जाएगा। कम्पनी द्वारा संस्तुत इकाईयों को कमेटी द्वारा उक्त भूमि निम्न शर्तों के अधीन सबलीज की जा सकेगी-
   i. भूमि की सबलीज सबलेसी को लीज की तिथि पर यीडा की प्रचलित आवंटन दर पर की जाएगी। आवंटन दर की धनराशि सबलेसी द्वारा सीधे यीडा को भुगतान की जाएगी।
   ii. सबलीज की गई भूमि के आंतरिक विकास की धनराशि की गणना जो वर्तमान भूमि दर में शामिल है, कम्पनी को भुगतान किया जाएगा।
4. भूमि एलओसी में वर्णित कार्यों में प्रयोग की जा सकेगी जिस कार्य के लिए आवंटित की गई थी। कम्पनी द्वारा टेक्सटाइल/सोलर यूनिट लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि मान्य नहीं है।
5. मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0 के प्रस्ताव के संबंध में शासन के पूर्व निर्णय के अनुसार भूमि दोनों कम्पनियों मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0 तथा मेसर्स पतंजलि हबर्ल फूड प्रा0लि0 के नाम आवंटित किया गया है। अतः सबलीज भी इन दोनों कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकेगा। सबलेसी से प्राप्त धनराशि यीडा में जमा करने का पूर्व में शासन का निर्णय है। दिनांक 24.06.2024 के इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इस बिन्दु पर यह संस्तुत करने का निर्णय लिया गया है कि सबलीज करने हेतु प्राधिकरण के वर्तमान आवंटन दर पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। सबलेसी को आवंटित किए जाने

वाले भूमि दर (औद्योगिक) में इन्टरनल डेवलेपमेन्ट चार्जेज के रूप में आगणित धनराशि प्राधिकरण द्वारा मे0 पतंजलि आयुर्वेद लि0/मे0 पतंजलि हर्बल फूड प्रा0 लि0 को 20 प्रतिशत सबलीज किए जाने वाले क्षेत्र के आन्तरिक विकास कार्यों के लिए वापस की जाएगी।

7- शासनादेश संख्या-2052/77-6-16-5(एम)/13टीसी, दिनांक 2.11.2016 का अनुलग्नक 2, उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित निर्णय की सीमा तक संशोधित समझा जाए।

8- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(अनिल कुमार सागर)**
प्रमुख सचिव।

संख्या-34 /2024/1718(1)/77-6-24-5(एम)/13टीसी(मेगा),तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/गीडा/ग्रेटर नोएडा/नोएडा/बीडा/यूपीडा/सीडा
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(पीयूष वर्मा)**
विशेष सचिव।